INDIRA GANDHI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,

SHEIKHPURA, PATNA – 800 014 (Bihar, India)Tel.: 0612 – 2297631, 2297099; Fax: 0612 – 2297225; Website: www.igims.org; E-Mail: director@igims.org

निविदा आमंत्रण सूचना

इंदिरा गॉधी आयुविज्ञान संस्थान एवं गेस्ट हॉउस परिसर के बाहरी क्षेत्रों में बागवानी एवं उसके अनुरक्षण देखभाल के लिए इस क्षेत्र में अनुभवी एवं प्रतिष्ठित एजेन्सियों से मोहरबंद निवदाए .... तक आमंत्रित की जाती है।

निवदा प्रपत्र शर्तो सहित IGIMS, Patna *के* Website www.igims.org *से डाउन लोड किया जा सकता है। निवदा के साथ ही रु 5000/- पॉच हजार रुपया मात्र) ;* Non refundable) *निवदा प्रपत्र की राशि के रुप में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो निदेशक आई0जी0आई0एम0एस0 पटना के नाम पटना में भुगतेय होगा, संलग्न किया जाना आवश्यक है।*

निदेशक
आई0जी0आई0एम0एस0, पटना

SHEIKHPURA, PATNA – 800 014 (Bihar, India)Tel.: 0612 – 2297631, 2297099; Fax: 0612 – 2297225; Website: www.igims.org; E-Mail: director@igims.org

निविदा समर्पित करने की प्रकियाः -

1) निवदादाता अगर चाहे तो निविदा सर्मपित करने के पूर्व स्थल का निरिक्षण कर सकते है।

2) निवदा के साथ रु 20,000/- बीस हजार रुपया) मात्र का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन ; EM) मद में जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट Director, igims,Patna के नाम पटना में भुगतेय होगा।

3) ऐजेन्सी को मजदूरी अधिनियम के अर्न्तगत Labour licence, P.F, ESI, Service Tax एवं Professional Tax Registration एवं Pan No. का होना अनिवार्य है।

4) बागवानी कार्य में उपयोग होने वाले सामग्री यथा मौसमी पौधा, स्थायी पौधा, गमला, कुदाली, खुरपी, गमला की रंगाई, कीटनासक दवाओं का छिडकाव, बागवानी हेतु मिट्टी, गोबर, इत्यादि की आपूर्ति ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

5) एजेन्सी को साल में 200 अदद गमलो की आपूर्ति करनी होगी।

6) भुगतान की दर सरकार द्वारा निर्धारित अ़घतन न्यूनतम पारिश्रमिक दर एवं उस पर ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई, एवं अन्य अधिनियम के तहत अंशदानकी राशि के साथ प्रति कर्मी का प्रतिमाह/प्रतिदिन भुगतेय पारिश्रिमिक का उल्लेख अवयशक है।

7) एजेन्सी द्वारा प्रतिनियोजित संवंधित कार्य में दक्ष व्यक्ति का उम्र पचीस से चालीस वर्ष के बीच में होना चाहिये।

8) एजेन्सी के विपत्र से आयकर एवं अधिनियम के तहत स्त्रोत पर की जाने वाली कटौती संस्थान द्वारा की जायगी।

9) एजेन्सी को आंशिक अथवा पूर्ण रुप से कार्य को सब-लेट करने का अधिकार नहीं होगा। एजेंसी द्वारा बागवानी के नीमित रखे गये कार्मिकों का व्यवहार एवं चरित्र उत्तम कोटि का होना चाहिये।

10) एजेन्सी एवं उनके द्वारा कार्य स्थल में किसी प्रकार के गैर कानूनी अथवा प्रतिबधिंत कार्य नहीं किया जायेगा। ऐसी परिस्थिति में उनके एकरारनामा रद् कर दिया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार यथोचित वैधानिक कारवाई भी संस्थान द्वारा की जा सकती है।

11) एजेन्सी द्वारा प्रतिनियोजित कर्मियों द्वारा पुरी निष्ठा एवं नियमों के अनुरुप आवंटित अवधि के लिए कार्य किया जायेगा।

12) एजेन्सी श्रम कानुन से संबंधित सभी नियमों का कठोरता से पालन करेंगें। श्रम कानून से उठने वाले सभी प्रकार के वादों की पूर्ण जवाबदेही एजेन्सी की होगी। एजेन्सी द्वारा बागवानी के निमित रखे गये कार्मिको के व्यवहार लापरवाही, कर्तव्यहीनता एवं DISHONESITY आदि के कारण यदि सम्पति को किसी भी प्रकार नुकशान होता है तो इसकी पूर्ण भरपाई एजेन्सी द्वारा की जायेगी।

13) एजेन्सी द्वारा बागवानी के नीमित रखे गये कार्मियों को इंदिरा गॉधी आयुविज्ञान संस्थान परिसर के नियम एवं सभी शर्तो का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।

14) एजेन्सी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक विपत्र इंदिरा गॉधी आयुविज्ञान संस्थान को समर्पित करेंगें। इन समर्पित विपत्रों पर इंदिरा गॉधी आयुविज्ञान संस्थान कार्यालय द्वारा जांचोपरान्त संवधित मदों में कटौति कर विपत्र का भुगतान किया जायेगा।

15) एजेन्सी द्वारा बागवानी कार्य के निमित रखे गयें कार्मिकों द्वारा उठाए गए किसी भी प्रकार का विवाद एवं दुर्घटना आदि के विरुद्ध कम्पनशेसन की राशि का भुगतान एजेन्सी द्वारा वर्कमेन्स कम्पन्शेसन एक्ट या अन्य कोई सरकारी संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत एजेन्सी द्वारा ही किया जायेगा।

16) एजेन्सी द्वारा श्रम कानून, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, न्यूनतम मजदुरी अधिनियम, कंपनी मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। इसकी पूरी जवाबदेही एजेन्सी की होगी।

17) एजेन्सी द्वारा किये गये किसी भी शर्तो के उल्लंघनमें कार्यालय निम्नवत रुप से कारवाई करने के लिए स्वतंत्र होगीः -

क) एजेन्सी से किया गया एकरारनामा एवं निर्गत कार्यादेश इंदिरा गॉधी आयुविज्ञान संस्थान कार्यालय रदद कर सकती है।

ख) एजेन्सी के द्वारा जमा की गई जमानत की राशि तथा उनके सभी समानों एवं उपस्करों को जब्त कर सकती है।

18) एजेन्सी द्वारा एकरारनामा की शर्तो का उल्लंघन अथवा उनके द्वारा किसी प्रकार का जालसाजी एवं गलत सूचना के आधार पर प्राप्त किये गये वर्णित कार्यादेश अथवा पूर्व में किसी प्रकार के फौजदारी मुकदमों में सजा भुगतने की जानकारी मिलने पर इंदिरा गॉधी आयुविज्ञान संस्थान कार्यालय द्वारा एजेन्सी को 15 दिनों का नोटिस के उपरान्त कार्यदेश रदद कर दिया जायेगा एवं एजेन्सी के द्वारा जमा किये गये सिक्यूरीटि डिपोजिट की राशि को भी जब्त कर लिया जायेगा।

19) एजेन्सी के द्वारा कार्य की गुणवता के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर इंदिरा गॉधी आयुविज्ञान संस्थान कार्यालय यथोचित कारवाई करेगा।

20) इंदिरा गॉधी आयुविज्ञान संस्थान कार्यालय कभी भी बिना कोई कारण बताये एजेन्सी का कार्यादेश रद्द कर सकता है।

21) एजेन्सी द्वारा रखे गये कर्मीयों को रहने की व्यवस्था एजेन्सी को अपने खर्च पर करनी होगी।

22) एजेन्सी द्वारा रखे गये कर्मीयों का पहचान पत्र निर्गत करना होगा, तथा सूचना इंदिरा गॉधी आयुविज्ञान संस्थान कार्यालय को भी देना होगा।

23) उपरोक्त नियमों के पालन के अलावा यदि किसी प्रकार का फेरबदल की आवश्यकता इंदिरा गॉधी आयुविज्ञान संस्थान के हित में करना होगा तो उस आदेश का पालन भी एजेन्सी को करना होगा।

24) एजेन्सी द्वारा कम से कम एक मोबाईल न0 एंव सेट कर्मी इन्चार्य) को अपने खर्च पर उपलब्ध कराना होगा।

25) चयनित एजेन्सी को आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व रु0 50,000 पचास हजार) मात्र जमानत की राशि जमा करना होगा जो सेवा समाप्ति के पश्चात उनके मांग पर बिना सूद वापस की जायेगी।

26) एजेन्सी द्वारा कर्मियों के वेतन/मजदुरी से काटी गई ई0पी0एफ, ई0एस0आई0 की जमा की गई राशि तथा उनके द्वारा जमा की गई सेवा कर या अन्य कोई कर का रसीद प्रत्येक महीने इंदिरा गॉधी आयुविज्ञान संस्थान कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा उनको अगले माह का भुगतान रोक दिया जायेगा।

27) किसी भी विवाद के निपटारा का क्षेत्र न्यायालय, पटना होगा।

INDIRA GANDHI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,
SHEIKHPURA, PATNA – 800 014 (Bihar, India)Tel.: 0612 – 2297631, 2297099; Fax: 0612 – 2297225; Website: www.igims.org; E-Mail: director@igims.org

ऐजन्सी/ठेकेदार द्वारा वागबानी के संबंध में किये जाने वाले कार्य

1. गमला का हर दो महीनो पर रंगाई/पोताई
2. सिजन के इनुसार प्रत्येक गाडेन में मौसम के उपयुक्त फूल लगाना।
3. जंगली पौधा/खरपतवार को प्रत्येक गार्डेन से हटाना।
4. सभी स्थायी पौधो की समयानुसार कटाई/छटाई करना।
5. आवश्यकतानुसार खाद एवं किटनासक दवाई की व्यवस्था करना।
6. हमेशा सौ उदद 100 पीस) स्थायी गमला तैयार रखना जिसे मिटिंग/सेमिनार/समारोह आदि के अवसर पर लगाया जाएगा।
7. वागवानी एवं इसके अनुरक्षण से संबंधित अन्य आवश्यक निर्देश चिकित्सा अधिक्षक के कार्यालय से समय समय पर दिये जायेगे जिसके अनुरुप कारवाई करना होगा।

अनुबन्ध के आधार पर आधुनिक मशीनो द्वारा बागवानी कर्मी की कार्य सेवा हेतु आवेदन पत्र

लिफाफा नं0-1 प्रपत्र-क ; Technical Bid)

1. निविदा संख्याः -..
2. निविदादाता का नामः -..
3. वर्तमान पताः -...
   दूरभाष सहित)..
   ....
   ....
4 स्थाई पताः -...
   दूरभाष सहित)...
   ....
   ....
5. अर्नेस्ट मनी राशि की विवरणीः
   रकम.........................डीडी नं0/बैंकर्स चेक नं0...............................
   दिनांक........................
   बिना अर्नेस्ट मनी के निवदा मान्य नहीं होगा)।
6. निविदा नियमावली एवं प्रपत्र कय की राशि) नन-रिफंडेबुल)
   रकम........................ डी0 डी0 नम्बर/बैंकर्स चेक न0 ....
   . दिनांक ....
7. आवेदन के साथ निम्नांकित आवश्यक केडेनिशियल/अभिलेख/प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जानी हैः -

- लेबर लाईसेंस न0- .... छायाप्रति संलग्न करें)
- ई0पी0एफ0 कोड नं0- .... छायाप्रति संलग्न करें)
- ई0एस0आई0 कोड नं0- .... कागजात संलग्न करें)
- फर्म का रजिस्टेशन सं0/पार्टनरसीप डीड- ..... कागजात संलग्न करें)
- कंपनी एक्ट के अधीन निबंधन सं0 .... कागजात संलग्न करें)
- सर्विस टैक्स रजिस्टेशन न0- .... कागजात संलग्न करें)
- पैन कार्ड न0- .... कागजात संलग्न करें)
- वाणिज्यिक रजिस्ट्रेशन/वैट- ....कागजात संलग्न करें)

- *आवेदक की आर्थिक सुदृढता के मूल्यांकन हेतु बैकर द्वारा निर्गत बैंकर्स प्रमाण पत्र।*
- *विगत पांच वर्षो का कार्य अनुभव। सरकारी/अर्द्ध सरकारी प्रतिश्ठानों में सेवाप्रदान करने का प्रमाण पत्र :*
- *जिला अधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र विगत तीन वर्षो का इन्कम टैक्स रिटर्न।*

8. *आवासीय पता का प्रमाण पत्र यथा राशन कार्ड की छाया प्रति, चुनाव कार्डकी छाया प्रति, ड्राईविंग लाईसेंस या अन्य कोई प्रमाण पत्र।*
9. *आवेदक का अण्डरटेकिंग :-*

मेरे द्वारा इस आवेदन में भरे गये सभी तथ्य/संलग्न अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। मेरे द्वारा टेण्डर नियमावली तथा अन्य नियम एवं शर्ते अच्छी तरह पढने/समझने के उपरान्त यह निवदा दिया जा रहा है। मै इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा निर्धारित सभी नियमों/शर्तो के अनुसार आवंटित ईकाई की संचालन व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन देता हूँ। निविदा में किसी भी स्तर पर इन्हें गलत पाये जाने पर इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान यथोचित आवश्यक कारवाई करने हेतु स्वतंत्र होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर
एवं मुहर

दिनांकः -

INDIRA GANDHI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,

SHEIKHPURA, PATNA – 800 014 (Bihar, India)Tel.: 0612 – 2297631, 2297099; Fax: 0612 – 2297225; Website: www.igims.org; E-Mail: director@igims.org

अनुबन्ध के आधार पर आधुनिक मशीनो द्वारा बागवानी कर्मी की कार्य सेवा हेतु आवेदन पत्र

लिफाफा नं0- ए प्रपत्र-ख दर) Financial Bid

1. निविदा संख्याः -...
2. निविदादाता का नामः -...
3. वर्तमान पताः -..

   दूरभाष सहित)..

   ....

   ....

4 स्थाई पताः - ....

   दूरभाष सहित)..

   ....

   ....

5. आवेदक द्वारा कोट की गई दरः -

साफ सफाई कर्मी/दिन/माहः - ....

बागवानी कर्मी/दिन/माहः - ....

दर सभी कर/सेवा शुल्क सहित प्रतिदिन प्रति कर्मी के आधार पर दें)

1. उपरोक्त अंकित दर सरकार द्वारा न्यूनतम पारिश्रमिक दर पर ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं अन्य किसी वैधानिक मद में देय अंशदान तथा सेवा कर की राशि के साथ प्रति कर्मी का प्रति माह की दर से है।
2. उपरोक्त दर के अलावे इंदिरा गॉधी आयुविज्ञान संस्थान द्वारा किसी प्रकार की कोई अन्य राशि देय नहीं होगी।
3. उपरोक्त दर न्यूनतम एक वर्ष हेतु मान्य होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

एवं मुहर सहित

दिनांकः -